सोशल आडिट निदेशालय

Phone No.: 0522-4003787
Mob.: 9453535353
E-mail: socialauditup@yahoo.in

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

पत्रांकः 53/सो.आ.नि.–322/2013
दिनाँकः 04 जून, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवा अवधि को बढ़ाए जाने एवं पदों की न्यूनतम आवश्यक संख्या का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में 'उत्तर प्रदेश (मनरेगा) सोशल आडिट संगठन' की जनरल बॉडी की द्वितीय बैठक, जो मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2013 को सम्पन्न हुई, में यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष मनरेगा पर हुए कम व्यय के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यय मद में धनराशि की उपलब्धता घट जाने के कारण यह अध्ययन कर लिया जाए कि प्रत्येक जनपद में सोशल आडिट के कार्यभार के दृष्टिगत जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के न्यूनतम कितने पदों की आवश्यकता होगी। कार्यभार को देखते हुए ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों को एक स अधिक विकास खण्डों का कार्य सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है तथा दो या दो से अधिक विकास खण्डों, जहां मनरेगा के अन्तर्गत बहुत कम काम हुआ हो, को एक ही ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के अधीन क्लब किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत हुए कार्यों पर व्यय के आधार पर उनके सोशल आडिट हेतु ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पदों की न्यूनतम संख्या संस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उक्त विषय में दिनांक 06 जून, 2013 को पूर्वाह्न में बैठक का आयोजन किया गया है। अतः अपने जनपद में जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के पदों की न्यूनतम आवश्यक संख्या का निर्धारण करते हुए दिनांक 04 जून, 2013 तक अपनी संस्तुति एवं आख्या अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक,

पत्रांकः 53/सो.आ.नि.–322 /2013, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शंकर सिंह)
निदेशक